इकाई 7 विद्रोह*

इकाई की रूपरेखा

7.0 उद्देश्य

7.1 प्रस्तावना

7.2 विद्रोह क्या है?

7.3 भारत में विद्रोह की उत्पत्ति

7.4 कश्मीर में विद्रोह

7.5 उत्तर-पूर्व भारत में विद्रोह

7.5.1 नागा विद्रोह

7.5.2 मणिपुर

7.5.3 मिजो विद्रोह

7.6 पंजाब में विद्रोह

7.7 माओवादी विद्रोह

7.8 सारांश

7.9 संदर्भ सूची

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

7.0 उद्देश्य

इस इकाई का उद्देश्य भारत में विद्रोह के विभिन्न पहलुओं को समझना हैं। इस इकाई के पढ़ने के बाद आप कर सकेंगे :

- विद्रोह को परिभाषित;
- भारत में विद्रोह के कारण एवं स्वरूप को उजागर; एवं
- विद्रोह के जवाब में केन्द्र सरकार के रूख को समझना।

7.1 प्रस्तावना

1947 में भारतीय संघ के बनने के पश्चात्, विद्रोह एक बड़ी चुनौती बन गया है। जैसा कि आप उप-इकाई 7.2 में पढ़ेंगे, विद्रोह एक प्रकार का राज्य अथवा संविधानिक प्राधिकार के विरूद्ध उठाया गया कदम है, जिसमें समाज का कुछ अथवा बड़ा तबका भाग लेता है। सामान्यतौर पर विद्रोह के अंदर हिंसा देखी जाती हैं जिसमें समाज के कुछ लोग अथवा बड़ा तबका तथा राज्य (स्टेट) शामिल होते हैं।

हमारे देश में आंतरिक विद्रोह के कई उदाहरण है, उत्तर-पूर्व भारत में, पंजाब मेंतथाजम्मू एवं कश्मीर। हालांकि कई अन्य राज्यों में भी विद्रोह के स्वर सुनाई पड़ते है, लेकिन उनका स्तर इन राज्यों की तुलना में कम है।

*डॉ. एन. किशोर सिंह चंद, कंसलटेंट, राजनीति विज्ञान संकाय, इग्नू, नई दिल्ली

7.2 विद्रोह क्या है?

विभिन्न विद्वान विद्रोह को कई तरह से परिभाषित करते है। मतभेदों के बावजूद, सभी इस बात से सहमत है कि विद्रोह के कुछ समान लक्षण है। विद्रोह एक प्रकार का किसी शासन या सत्ता के खिलाफ सशस्त्र बगावत है। और जो लोग इस बगावत में शामिल होते हैं उन्हें "विद्रोही" कहा जाता है। इस प्रकार विद्रोह राज्य सत्ता के खिलाफ किया गया आंदोलन है जिसका प्रमुख उद्देश्य राजनीतिक बदलाव या परिवर्तन होता है (मर्सटन, 2005)। एस. के. चौबे ने विद्रोह को परिभाषित करते हुए कहा कि यह किसी व्यवस्था या स्थापित सत्ता के विरूद्ध संग्राम होता है। उन्होंने आगे यह भी कहा कि, विद्रोहियों के विचार बिल्कुल भिन्न भी हो सकते हैं, या वे किसी स्थापित सत्ता या व्यवस्था को नहीं मानते हों, उनके लिए विद्रोह सिर्फ व्यवस्था परिवर्तन करना है (चौबे, 1997)। भारत का रक्षा मंत्रालय की डाक्ट्रिन फॉर कवेंशनल ऑपरेशन्स विद्रोह को सेना के संदर्भ में परिभाषित करती है। यह विद्रोह को सशस्त्र संघर्ष मानता है जो किसी विशेष वर्ग के राज्य के विरूद्ध किया है। यह किसी विदेशी समर्थन से किया जाता है। इसका लक्ष्य सत्ता हासिल करना, या सत्ता परिवर्तन करना या फिर किसी निश्चित क्षेत्र को स्वतंत्र करना है(रक्षा मंत्रालय, 2006 : 64)।

विद्रोह को प्रायः आंतकवाद के रूप में भी पहचाना जाता है। हालांकि दोनों में बहुत अंतर है। विद्रोही एवं आंतकवादी समूह हिंसावादी कार्यवाही में समान रूप से हिस्सा लेते हैं, लेकिन दोनों के स्वभाव में काफी फर्क है। आतंकवाद के विपरीत विद्रोही आंदोलन के पीछे समाज के एक बड़े वर्ग का समर्थन या हाथ होता है। इस संदर्भ में आंदोलनकारी समूह जनता को लामबंद करते हैं, उन्हें सूचना पहुँचाते है तथा मनोवैज्ञानिक तरीके से लोगों को अपने साथ जोड़ते हैं (सिंह, 2018, 294, MOD 2006: II) जबकि आंतकवादी समूहों के पास जनता का समर्थन नहीं होता है। विद्रोह या बगावत का लक्ष्य स्थापित सत्ता को चुनौती देकर राजनीतिक बदलाव लाना है। लेकिन आतंकवादी हिंसा का सहारा लेते हैं, नागरिकों को निशाना बनाते हैं, उनमें डर पैदाकरते है, तथा आंदोलन लोगों को प्रभावशाली एवं तार्किक बनाते हैं।

विद्रोह से संबंधित एक अवधारणा 'प्रत्युत्तर विद्रोह' (Counter –insurgency) है। प्रत्युत्तर विद्रोह वे कदम हैं जो राज्य विद्रोह को समाप्त करने के लिए किया जाता है। यह एक विस्तृत सामाजिक और सैन्य प्रयत्न है जो एक साथ विद्रोह समाप्त करने तथा उसके कारणों की खोज करने के लिए किया जाता है। फिर भी विद्रोह को समाप्त करने की कोई एक नीति नहीं है। इसको समाप्त करने के लिए सैन्य, सामाजिक, राजनीतिक, आर्थिक या सरकार के प्रत्यत्नों की आवश्यकता है जो विद्रोह समाप्त करने के लिए किए जाएं। इन प्रयत्नों से विद्रोह के कारणों की खोज की जा सकती तथा उसको समाप्त या कम किया जा सकता है। केवल बल प्रयोग से कुछ समय के लिए विद्रोह की समस्या को हमेशा के दूर नहीं किया जा सकता है। इस लिए, भारत सहित अधिकांश देशों में प्रत्युत्तर विद्रोह को सामाजिक एवंसैन्य प्रत्यनों द्वारा किया गया। इन प्रयत्नो के साथ-साथ सरकारों द्वारा लोगों के 'दिल और मन' (Hearts and Minds) को जीतने के लिए परसेप्शन को प्रबंध किए जाते है (एम ऑ डी, 2006). भारत में सेना जो कदम उठाती है उनमे आफ्सपा (Armed Forces Special Power Act), 1958 शामिल है, जिसे विद्रोह प्रभावित क्षेत्र में लागू किया जाता है। आफ्सपा के अनुसार सेना किसी विद्रोह में संदिग्ध व्यक्ति हिरासत में ले सकती है। इसका अनेक संगठनों द्वारा - मानव अधिकार संगठनों, सिविल सोसाइटी संगठनों द्वारा विरोध किया जाता है। राजनीति, आर्थिक उपायों में विद्रोह से प्रभावित क्षेत्रों में कल्याणकारी परियोजनाओं को लागू करना, तथा विद्रोही गुटों के साथ वाद-विवाद सम्मिलित हैं।

अभ्यास प्रश्न 1

टिप्पणीः क) अपने उत्तर के लिए नीचे दिए गए स्थान का प्रयोग कीजिए।

ख) अपने उत्तर का मिलान इकाई के अंत में दिए गए उत्तर से करें।

1) विद्रोह की परिभाषा दीजिये।यह आंतकवाद से किस तरह भिन्न है?

.....

.....

.....

.....

.....

7.3 भारत में विद्रोह की उत्पत्ति

भारत में विद्रोह के उत्पत्ति के अनेक कारण हैं। कुछ कारण वास्तविक है जबकि कुछ कारण बनावटी है। इतिहास, विचारधारा, राजनीति, पहचान, धर्म, भाषा या अन्य कोई कारण विद्रोह के हो सकते हैं। इनमें से अपनी अस्मिता या पहचान के प्रति चेतना जिसका आधार राष्ट्रवाद है इनमें से प्रमुख कारण है। विद्रोह के नेता, कार्यकर्त्ता होते हैं तथा इसको आम समर्थन भी होता है। इसके कई उद्देश्य विशेष होते है। कुछ विद्रोह अलग राज्य की माँग करते हैं, तथा किसी का उद्देश्य क्षेत्रीय स्वायत्ता होता है तथा कुछ की मांग है पूर्ण स्वतंत्रता या राज्य से अलग होना। नेताओं एवं कार्यकत्ताओं के प्रयास से ये माँगें ही विद्रोह का कारण बनती है। विद्रोह वास्तव में सामूहिक एकता कायम करना है। विद्रोह कभी-कभी हिंसा का भी रूप ले लेते है जिसमें राज्य को भारी नुकसान होता है। विद्रोह की घटना तथा उसका स्तर कोई स्थायी लक्ष्य नहीं है।

भारत के अनुभव के आधार पर पॉल स्टैनीलैंड (2017) ने भारत में तीन प्रकार के विद्रोहों की पहचान है। (1) उत्तर-पूर्व एवं पंजाब में आदिवासी या नृजातीय-राष्ट्रवादी, अलगाववादी विद्रोह (2) जम्मू और कश्मीर धार्मिक अल्पसंख्यक अलगाववादी विद्रोह तथा (3) मध्य भारत एवं पूर्वी भारत में विचारवादी या माओवादी विद्रोह। लेकिन इन सबमें एक बात समान है कि वे स्थापित सत्ता के विरूद्ध असंतुश्टि तथा राजनीतिक बदलाव, सामान्यतः आत्म-निर्णय का अधिकार।

7.4 जम्मू और कश्मीर में विद्रोह

जम्मू और कश्मीर में, जो 5 अगस्त, 2019 को दो केंद्र शासित राज्य-जम्मू और काष्मीर तथा लद्दाख बनने से पहले एक राज्य था, विद्रोह 1980 के अंत में उभरकर सामने आये। उससे पहले राज्य में राजनीतिक अस्थिरता थी। 1974 में, एक महत्वपूर्ण घटना घटी जब शेख अब्दुला ने इंदिरा गाँधी के साथ समझौता किया जिसे ''कश्मीर समझौता'' कहते है। इसके तहत शेख अब्दुला जेल से रिहा हुए थे और फिर से मुख्यमंत्री बने। परंतु उनके रिहाई पर एक शर्त थी कि वह ''आत्म-निर्णय'' की माँग को छोड़ देंगे। इस माँग को छोड़ने के कारण जम्मू और कश्मीर में नाराजगी दिखाई देने लगी। इस समझौते के कुछ वर्ष पश्चात् केन्द्र सरकार ने फारूख अब्दुला सरकार को बरखास्त कर दिया, जो कि शेख अब्दुला की मौत के बाद बनी थी। इन दोनों घटनाओं ने पूरे कश्मीर को हिला दिया और यह समझा जाने

लगा कि केन्द्र कश्मीर मसलों में हस्तक्षेप कर रहा है। इसे लोकतंत्र को समाप्त करने वाला कदम भी देखा गया (गांगुली 1996 : 104)

1987 के चुनावों के बाद जम्मू एवं कश्मीर में यह नाराजगी और बढ़ गयी। इस चुनाव के बाद, कश्मीर घाटी में भारतीय राज्य के विरूद्ध सशस्त्र विद्रोह की घटना सामने आयी। 1990 तक, कश्मीर में दो प्रकार के विद्रोही समूह उभर कर सामने आये। पहला जम्मू और कश्मीर लिबरेशन फ्रंट (जे.के.एल.एफ.), दूसरा पाकिस्तान समर्थित, हिजबुल मुजाहिदिन ग्रुप (समूह), जो अखिल इस्लामवाद को मानता था (स्टेनिली 2012: 158; गांगुली 1996)। युवा कश्मीरी शिक्षित पीढ़ी के लोग जैसे यासिन मलिक, शब्बीर शाह, और जावेद मीर ने 1987 के विधानसभा चुनावों में बढ़चढ़कर हिस्सा लिया था। परन्तु चुनावों में धांधली के कारण उनकी चुनावी प्रक्रिया से आस्था उठ गई थी तथा उन्होंने अपनी आपत्ति विद्रोह के रूप में दिखाई (गांगुली 1996: 104)। लेकिन अब पूरी तरह से इनके खिलाफ हो गये। उसी समय कश्मीर की राजनीति में धर्म का प्रयोग अधिक बढ़ गया था तथा एक "राजनैतिक संघर्ष" कश्मीरी मुसलमानों के धार्मिक संघर्ष से जुड़ गया। 1993 में लगभग 26 अलगाववादी समर्थक दलों ने एक साझा मोर्चा बनाया जिसे हम हुर्रियत के नाम से जानते हैं। हुर्रियत भी दो गुटों कें बंटा हुआ था। एक गुट को हम कट्टरपंथी कह सकते है जो कि कश्मीर को पाकिस्तान में विलय की बात करता है जबकि दूसरा गुट 'उदारवादी' है, जो "स्वतंत्र" कश्मीर की बात करता है। 1999 के कारगिल युद्ध के पश्चात् कश्मीर में पाकिस्तान समर्थन स्थानीय समूहों का वर्चस्व बढ़ता गया तथा सीमा-पार से भी इन्हें समर्थन मिलता रहा (इवांस 2000)। पाकिस्तान भी कश्मीर में इस्लामिक गुटों का समर्थन करता रहा जो पाकिस्तान की तरफ ज्यादा हमदर्दी दिखाते थे। ये गुट स्वतंत्रता के पक्षधर जे.के.एल.एफ. को भी अनदेखा कर रहे थे (पटानकर 2009: 68)।

1990 के दशक में, पाकिस्तान समर्थक आंतकवादी गुटों जैसे लष्कर-ए-तैयबा, हरकत-उल-मुजाहिदिन, जैष-ए-मौहम्मद ने कई फिदायीन हमले या आत्मघाती बम-धमाकें किये। ये सब भारतीय राज्य के विरूद्ध एक प्रकार का पाकिस्तान की तरफ से छद्म-युद्ध था। 2003 तक विद्रोह से संबंधित हिंसा भी जारी रही, उसी दौरान भारत एवं पाकिस्तान के बीच हिंसा को कम करने के लिए युद्ध विराम समझौता किया गया। यद्यपि, हिंसा में कमी आ गयी हो, लेकिन विद्रोह अभी खत्म नहीं हुआ है।

2008 में फिर से एक बार कश्मीर घाटी में तनाव बढ़ गया, लेकिन इसका रूप अलग था। इसमें कश्मीरी युवा सड़कों पर आंदोलन करने को आगे आये। इस युवा पीढ़ी हथियारों की बजाय पत्थरों का प्रयोग किया, यह एक प्रकार का नया आंदोलन का तरीका था जो कि सामने आया था (राय, 2018)। लेकिन यह नया तरीका कम हिंसात्मक है 1980 और 1990 के दशक के हिंसावादी आंदोलनों की तुलना में। हम अभी यह नहीं मान सकते कि कश्मीर से विद्रोह समाप्त हो गया है, बल्कि यह और अधिक जटिल समस्या बन गयी है भारत के लिए आज।

7.5 उत्तर-पूर्व में विद्रोह

उत्तर-पूर्व के आठ राज्यों आसाम, अरूणाचल प्रदेश, मणिपुर, मेघालय, मिजोरम, त्रिपुरा, नागालैण्ड तथा सिक्किम में से तीन राज्यों में विद्रोह अधिक देखने को मिला है। ये राज्य हैं, नागालैंण्ड, मिजोरम एवं मणिपुर। इनके बारे में आप उपखण्ड 7.5.1, 7.5.2 तथा 7.5.3 में पढ़ेगे। इन राज्यों में विद्रोह 1950 एवं 1960 के दशकों में हुआ थी। त्रिपुरा में 1971 के युद्ध के बाद उसकी जनसंख्या घट गयी और यह बंगाली बहुल राज्य में बदल गया और

इसके बाद त्रिपुरा नेशनल वालंटियरर्स (टी एन वी) का गठन किया जिसका बाद में 1978 में मिजो नेशनल फ्रंट के साथ समझौता हुआ। करीब एक दशक की हिंसा के बाद, टी.एन. वी. ने 1988 में एक समझौते के पश्चात समर्पण कर दिया। लेकिन इसके बाद भी शांति कायम नहीं हो सकी और 1989 में एक नया फ्रंट नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा (एन. एल.एफ.टी.) का गठन हुआ। उसके बाद एक अलग गुट आल त्रिपुरा ट्राइबल फ्रंट (ए.टी. एफ.एफ.) भी गठित हुआ। ये दोनों गुट राज्य में सक्रिय हो गये और इनका मुख्य एजेन्डा का राज्य से बंगाली आप्रवासियों को बाहर करना था। अन्य राज्यों में विद्रोह काफी बाद में शुरू हुए। असम एवं मेघालय में, 1980 एवं 1990 के दशक में क्रमशः विद्रोह शुरू हुए। मेघालय में, हिन्यूत्रिप अचिक लिबरेशन काउंसिल (एच.ए.एल.सी.) के उभरने के पश्चात् विद्रोह विकसित हुआ 1992 में। आसाम में उल्फा जिसकी स्थापना 7 अप्रैल, 1979 में हुई थी, का लक्ष्य था असम को संप्रभु राज्य बनाना जबकि बोडो आंदोलन चाहता था एक अलग स्वायत्त बोडोलैण्ड बने। 1986 में नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ बोडोलैण्ड (एन.डी.एफ.बी.) का गठन किया गया। एच.ए.एल.सी का प्रमुख लक्ष्य था मेघालय में आदिवासी लोगों के हितों की रक्षा करना और बाहरी लोगों से सुरक्षा करना। बाद में इसे हिन्यूत्रिप नेशनल लिबरेशन काउंसिल (एच.एन.एल.सी.) में बदल दिया गया। इसके अलावा, अन्य गुट ए.एन. वी.सी. भी राज्य में उभर कर सामने आया।

7.5.1 नागा विद्रोह

उत्तर-पूर्व भारत में नागा विद्रोह काफी पुराना है। कुछ लोग इसे भारत या उत्तर-पूर्व भारत में सभी विद्रोहों के जननी भी मानते हैं। 20वीं सदी के दूसरे दशक में नागा विद्रोह का राजनीतिक लामबंदी देखी गयी। 1918 में नागा लोगों ने नागा क्लब की स्थापना की। 1929 में, नागा क्लब ने साइमन कमीशन के सामने संप्रभुता की माँग रखी। 1946 में नागा क्लब का विस्तार होकर एक राजनीतिक संगठन (नागा नेशनल कॉसिल) का गठन हुआ, जिसका नेतृत्व अंगामी फिजो ने किया। इसका प्रमुख लक्ष्य था अलग नागालैण्ड का गठन करना। फरवरी 1947 में नागा नेशनल कांसिल ने एक ज्ञापन सौंपा ब्रिटिश प्रशासन को जिसमें अंतरिम सरकार के गठन की माँग रखी गयी। इसक परिणामस्वरूप, एक समझौता पर हस्ताक्षर किये गये जिसे नौ सूत्रीय समझौतों कहा गया। इसे जून 1947 में नागा-अकबर हैदरी और एन.एन.सी के बीच ब्रिटिश प्रशासन की तरफ से हस्ताक्षर किये गये। नागा-अकबर हैदरी समझौते ने नागालैण्ड को दस वर्षों के लिए संरक्षित दर्जा प्रदान किया। इस समझौते ने नागा वासियों के अधिकारों को प्रमुखता दी ताकि यह समुदाय स्वतंत्र रूप से अपना विकास कर सके तथा नागाप्रथागत कानूनों का पालन कर सके। केन्द्र ने असम के राज्यपाल को यह अधिकार दिया गया कि वे सरकार के एजेन्ट के रूप में इस समझौते की दस साल सीमा समाप्त होने पर, एन एन सी से पूछा जायेगा कि इस समझौते को विसतार किया जाय या नागाओं का भविष्य से संबंधित एक नया समझौता किया जाय। इस समझौते की समीक्षा की जायेगी तथा इसे आगे बढ़ाया जायेगा ताकि नागाओं के भविश्य को सुरक्षित रखा जाये (Naga-Akbar hydari Accord, https://peacemaker.un.org/files/IN_Naga-Akbar%Accord.pdf, accessed on April 4, 2016)।

नागा-अकबर हैदरी समझौते पर दस्तखत होने के एक महिने के बाद एन.एन.सी ने फिजो के नेतृत्व में 14 अगस्त 1947 को स्वतंत्र नागालैण्ड की घोषणा की। यह भारत के स्वतंत्र होने से एक दिन पूर्व की बात है। भारत के स्वतंत्र होने के बाद, नागा क्षेत्र असम राज्य का हिस्सा था लेकिन एन.एन.सी ने यह स्वीकार नहीं किया कि नागाओं वाले क्षेत्र भारतीय संघ के हिस्से रहे। इसके परिणामस्वरूप फिजो ने भारतीय सरकार के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन छेड़ दिया, स्वतंत्र नागा राज्य के लिये। भारत सरकार ने आखिरकार 1963 में स्वतंत्र

नागालैण्ड राज्य की घोषणा की। 1964 में, भारत सराकार एवं एन.एन.सी. के बीच समझौते पर हस्ताक्षर हुए, जिसमें शांति का प्रस्ताव था। इसके फलस्वरूप, विद्रोह को समाप्त कर दिया गया। 1975 में एक बार फिर से भारत सरकार एवं एन.एन.सी. के बीच समझौता हुआ, जिसे, "शिलोंग समझौता" के नाम से जाना जाता है। लेकिन इस समझौते के बावजूद नागालैण्ड में स्थायी शांति नहीं आ सकी। एन.एन.सी. के एक गुट के नेताओं जैसे इसाक चीसी सू.थि थुईगलेंग मुइवा और एसएस खापलाँग ने शिलोंग समझौते को मानने से मना कर दिया। उनका मानना था कि यह समझौता बेचने (sell-out) के समान है। उन्होंने 1980 में नेशनल सॉफिएलिस्ट कॉसिल ऑफ नागालैण्ड (एन.एस.सी.एन.) का गठन किया।

लेकिन 1988 में पुन (एन.एस.सी.एन.) का विभाजन हुआ और यह दो गुटों में बंट गयी, एक, एन.एस.सी. (आई. एम.) जिसका नेतृत्व थुइलेंग मुइवा ने किया तथा दूसरा एन.एस.सी. (के) जिसका नेतृत्व एस.एस. कापलांग ने किया। उसके बाद ये दोनों गुटों ने स्वतंत्र नागा के लिये आंदोलन जारी रखा। इसके बाद एन.एस.सी.एम.-आई.एम. ने 1997 में तथा एन.एस. सी.एन.के. ने 2001, ये दोनों गुट भारत सरकार के साथ शांति के समझौते पर राजी हुए। इन समझौतों के आधार पर एन.एस.सी.एन. (आई. एम.) ने अलग राज्य की माँग को छोड़ दिया तथा एक नई माँग उठाई, ''ग्रेटर नागालैण्ड'' की या ''नागालिम'' की। इस 'ग्रेटर नागालैण्ड' या 'नागलिम' में विभिन्न क्षेत्रों को मिलाकर एक एकीकरण की बात कही गयी जिसमें नागालैण्ड, असम, अरूणाचल प्रदेश और मणिपुर के कुछ भाग शामिल है। इस माँग के खिलाफ अन्य राज्यों में विरोध शुरू हो गया इसके परिणाम स्वरूप अंतर्जातिय तथा अंतर्राजतीय विवाद उत्पन्न हुआ एवं इससे हिंसा भी फैली। इसके बाद 3 अगस्त, 2015 को भारत सरकार और विभिन्न नागा गुटों के बीचएक नया समझौता हुआ, जिसे 'नागा फ्रेमवर्क समझौता' कहते है। इसका मुख्य उद्देश्य नागा गुटों द्वारा उठाये गये मुद्दों को हल करना था।

7.5.2 मणिपुर में विद्रोह

मणिपुर में सबसे अधिक विद्रोही गुट है जो विभिन्न समुदायों का प्रतिनिधित्व करते हैं। मणिपुर में विद्रोह 1949 से शुरू हो चुका था जब मणिपुर के महाराजा ने भारतीय संघ के साथ ''विलय समझौते'' शिलाँग पर हस्ताक्षर किये थे। मणिपुर में सामान्य तौर पर यह आरोप लगा कि महाराजा ने दबाव में ये हस्ताक्षर किये थे। मणिपुर मे महाराजा द्वारा मणिपुर के इंडियन डोमिनियम में शामिल किए जाने के विरोध में आंदोलन हुआ। हिजाम इराबोट जो कि एक कम्युनिस्ट लीडर ने, उन्होंने स्वतंत्र मणिपुर राज्य बनाने के लिए सशस्त्र संघर्ष किया। लेकिन उन पर सरकार ने कानून तोड़ने का मुकदमा दर्ज किया इस कारण वे 1950 में बर्मा भागकर चले गये और उनका वहीं पर कुछ समय बाद निधन हो गया था। यद्यपि इरावोट का आंदोलन अपना लक्ष्य प्राप्त करने में असफल रहा था लेकिन इसने मणिपुरी राष्ट्रवाद के बीज बो दिये थे। बाद में, 1964 में, अलगाववादी गुट यू.एन.एल. एफ. (युनाइटेड नेशनल लिबरेशन फ्रंट) का गठन किया गया जिसने अध्यक्ष अरबंम समरेन्द्र थे। इनका लक्ष्य मणिपुर की ''संप्रभुता'' को दुबारा हासिल करना था। 1968 में क्रांतिकारी मणिपुर सरकार का गठन किया गया जिसका उद्देश्य एक समानान्तर सरकार का कार्य करना था। बाद में समाजवादी विचारधारा का समर्थन करते हुए राज्य में अन्य अलगाववादी गुट भी उभर कर सामने आये। उदाहरण के तौर पर, पिपल्स रिवॉल्यूशनरी पार्टी ऑफ कॉंगलीपाक (PREPAK), पीपल्स लिबरेशन आर्मी (PLA), और कॉंगलीपाक कम्युनिस्ट पार्टी (के सी पी) जिनका गठन 1977, 1978, एवं 1980 क्रमशः में किया गया था। कई अन्य विद्रोही संगठन जिनका प्रतिनिधित्व आदिवासी कर रहे थे वे भी 1990 में उभर कर सामने आये, जिनकी माँग भी अलग राज्य एवं स्वायत्ता थी। इस सदी के दूसरे दशक में, भूमिगत

संगठन भी कार्यरत है जो कूकी, जोमी हमर इत्यादि का प्रतिनिधित्व करते हैं लेकिन ये भारत सरकार के साथ समझौते में हैं जिसे सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन (SoO) के नाम से जाना गया। मणिपुर में विद्रोह को समाप्त करने के लिए सिंतबर, 1980 से आफस्पा (विशेष सुरक्षा बल कानून) 1958 लागू हैं।

7.5.3 मिजो विद्रोह

मिजो विद्रोह की शुरुआत 1960 में हुई थी जब मिजो नेशलन फेमीन फ्रंट (एम एन एफ) का गठन हुआ था। इसका नेतृत्व लालडेंगा ने किया जिसका मकसद मिजो गाँवों में मोतम (अकाल) से राहत प्रदान करना था। इसका कारण यह था कि 1959-60 में मिजो पहाड़ी क्षेत्रों में जबरदस्त अकाल/मातम अकाल (बेम्बू फ्लावरिंग) पड़ा जिस कारण लोगों को बहुत कष्ट उठाना पड़ा। आसाम तथा केंद्रीय सरकार ने इस समस्या का समाधान ठीक से नहीं किया जिससे मिजों लोगों में बहुत निराशा हुई। मिजो वासियों ने यह महसूस किया केन्द्र सरकार एवं असम सरकार ने कोई ठोस कदम नहीं उठाये अकाल में मदद करने के लिये। क्योंकि उस वक्त मिजो एवं लसाई पहाड़ी क्षेत्र 1972 तक असम के ही हिस्सा थे। अकाल से उभरी समस्याओं को सरकार द्वारा न सुलझाने के लिए असम सरकार पर सौतेला व्यवहार करने का भी आरोप लगा। असम सरकार द्वारा असमी भाषा को सरकारी भाषा बनाने के कारण भी मिजो लोगों में अपनी संस्कृति एवं पहचान बरकरार रखने की चिंता होने लगी। इन परिस्थितियों में, मिजो संगठनों ने यह दलील पेश की कि मौजूदा प्रशासन उनके मुद्दों को हल नहीं कर सकता। उनकी समस्याऐं तभी हल हो सकती है जब उनका अपना संप्रभु राज्य या स्वतंत्र राज्य हो।

1961 में अकाल के समाप्त होने के पश्चात् लालडेंगा ने एम.एन.एफ.एफ. को राजनीति पार्टी में तब्दील किया। इसमें से 'फेमीन' शब्द निकालकर पार्टी का नाम केवल ''मिजो नेशनल फ्रंट'' रखा गया। 1966 में मिजो नेशनल फ्रंट ने मिजो राज्य के गठन के लिए जबरदस्त आंदोलन छेड़ा। अलग राज्य की माँग के कारण एम.एन.एफ. एवं भारतीय सुरक्षा बलों के बीच हिंसात्मक झड़पें हुई। 1976 में इन सब परिस्थितियों को देखकर कलकत्ता में भारत सरकार एवं एम.एन.एफ. के बीच समझौता हुआ। इसके बाद हिंसा में कुछ कमी आई। आखिरकार करीब दो दशक के उथल-पुथल के बाद 1986 में ''मिजोरम समझौता'' पर हस्ताक्षर किये गये, भारत सरकार एवं एम.एन.एफ. के बीच में। फरवरी 1987 में मिजोरम भारत का 23 वाँ राज्य बना और इसके प्रथम मुख्यमंत्री लालडेंगा बनाये गये। इसके बाद से मिजोरम सबसे शांत राज्य बन गया है। 'मिजो समझौता' भारतीय इतिहास का सबसे सफल राजनैतिक समझौता भी माना जाता है। इस प्रकार मिजो विद्रोह "स्ट्रॉक ऑफ पैन" द्वारा समाप्त हो गया है।

7.6 पंजाब में विद्रोह

पंजाब में विद्रोह 1970 के दशक के अंत में शुरू हुआ एवं 1980 के दशक तक यह चरम सीमा तक पहुँच गया था। इस विद्रोह को हम खालिस्तान आंदोलन के रूप में भी जानते है,जिसमें अलग सिख राज्य ''खालिस्तान' की माँग की गई थी। खालिस्तान राज्य की माँग 1971 में आनन्दपुर साहिब प्रस्ताव के बाद की गयी थी। यह हिंसावादी आंदोलन था जिसमें हजारों लोग मारे गये थे। खालिस्तान आंदोलन का नेतृत्व भिंडरावाले ने किया था। 1983 में, गिरफ्तारी से बचने के लिये भिंडरावाले ने अपने समर्थकों सहित स्वर्ण मंदिर में नजरबंद हो गया, वहीं से उसने विद्रोह का प्रचार किया। बढ़ती हिंसा को रोकने के लिए 6 जून, 1984 को इंदिरा गाँधी सरकार ने सैनिक कार्यवाही के आदेश दिये, जिसे हम ''ऑपरेशन

ब्लू स्टार'' कहते हैं। इस कार्यवाही का मकसद था स्वर्ण मंदिर परिसर को आंतकवादियों से मुक्त करवाना। इस कार्यवाही में भिंडरावाले सहित करीब 200-250 खालिस्तानी आंतकवादी मारे गये थे। इस कार्यवाही का सिख समुदाय में भारी विरोध हुआ तथा इंदिरा गाँधी सरकार के खिलाफ नाराजगी बढ़ती गयी। इसके परिणामस्वरूप 1984 में अपने ही अंगरक्षकों द्वारा, जो कि सिख थे, इंदिरा गाँधी की हत्या की थी। इस ऑपरेशन ब्लू स्टार' के कुछ वर्षों बाद विद्रोह धीमा हो गया तथा 1991 में पंजाब पुलिस के मुखिया के.पी.एस. गिल ने 'ऑपरेशन ब्लैक थंडर'' की शुरुआत की थी।

पंजाब में विद्रोह पैदा होने के कई प्रकार के कारण दिये गये हैं। इनमें राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारण प्रमुख हैं। अतुल कोहली ने राजनीतिक कारणों की बात कहते हुए यह दलील पेश की कि दूसरे स्वभाग्य निर्पण आंदोलन की तरह, ''पंजाब मे विद्रोह का प्रमुख कारण केन्द्र का राज्य की राजनीति में दखल देना तथा केन्द्रीय नेतृत्व का अन्य मामलों में भी लोगों को शामिल न करना था। एक अन्य कारण यह भी था कि पंजाब में काँग्रेस एवं अकाली दल के बीच में प्रतिस्पर्धा के कारण भी खालिस्तान आंदोलन उभरा। अन्य सामाजिक सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारणों में मुख्य रूप से ग्रीन रिवोल्यूशन (हरित क्रांति) का प्रभाव, पंजाबी संस्कृति का ह्रास भी लोगों के गुस्से का कारण बना। खालिस्तान आंदोलन के समर्थकों का मानना था कि, स्वतंत्र खालिस्तान राज्य के बनने के बाद पंजाब में सामाजिक, सांस्कृतिक एवं आर्थिक संकटों को दूर करने में मदद मिलेगी।

7.7 नक्सल प्रभावित क्षेत्र

देष के कुछ भागों में जैसे झारखंड, आंध्रप्रदेश के कुछ क्षेत्र, महाराष्ट्र एवं उड़िसा में कुछ लोग माओवादी विद्रोह में शामिल हो रहे हैं। यह विद्रोह माओवादी विचारधारा से प्रभावित हुआ। यह विचारधारा चीन के कम्युनिस्ट नेता माओ त्से तुंग द्वारा प्रतिवादित की गई थी। इस तरह की कार्यवाही माओवादी या नक्सलवादी होती है। उनका प्रमुख लक्ष्य वर्ग आधारित भेदभाव को समाप्त करना है तथा राज्य की नीतियों का विरोध करना है तथा एक ऐसे राज्य की स्थापना करना जिसकी नीतियां और चरित्र माओवाद से प्रभावित हों, इन्हें माओवादी विचारधारा का समर्थक माना जाता है। इनकी रणनीति सशस्त्र विद्रोह की होती है, तथा ये राज्य एवं प्रशासन के विरूद्ध संगठित तरीके से विरोध करते हैं इनमें पुलिस एवं अभिजात्य वर्ग भी शामिल हैं क्योंकि वे इन्हें अपना वर्ग शत्रु मानते हैं। 'नक्सल' शब्द पश्चिम बंगाल के दार्जिलिंग जिले के नक्सलवाड़ी गाँव से लिया गया है जहाँ पर 1967 में संथाल नामक आदिवासी समुदाय में शोषण एवं अन्याय के विरूद्ध किसान विद्रोह किया था।

यह एक छोटे आंदोलन के रूप में उभरा था, एवं धीरे-धीरे इसका आकार बढ़ता चला गया एवं कई घटनाऐं भी हुई। इस नक्सलवाड़ी आंदोलन का नेतृत्व सी.पी.आई. (माले) के नेता चारू मजूमदार ने 1969 में किया। कुछ ही वर्षों में, नक्सल आंदोलन देश के अन्य राज्यों जैसे बिहार, आंध्रप्रदेश में भी फैल गया। चारू मजूमदार को अन्य नक्सल नेताओं के साथ 1972 में गिरफ्तार करके जेल में डाल दिया। 1977 में नक्सल नेताओं के जेल से रिहा होने के पश्चात् नक्सल आंदोलन भी चार गुटों में बंट गया। माओवादी कम्युनिस्ट सेन्टर (एम. सी.सी.) पिपुल्स वार ग्रुप (पी.डब्ल्यू.जी.), पार्टी यूनिटी (पी.यू.), तथा सी. पी. आई. एम. (लिबरेशन)। 2004 में एम.सी.सी., पी.डब्ल्यू.जी. एवं पी.यू. ने विलय की घोषणा कि एवं एक नया संगठन सी. पी. आई. (माओवादी) बनाया। इन्होंने संसदीय लोकतंत्र की विचारधारा को खारिज किया था। सी.पी.आई. (माओवादी) ने राज्य के खिलाफ सशस्त्र आंदोलन शुरू

किया। 2009 में भारत सरकार ने माओवादी विद्रोह के खिलाफ ''ऑपरेशन ग्रीन हंट'' शुरू किया ताकि इस पर काबू पाया जा सके।

अभ्यास प्रश्न 2

1) जम्मू और कश्मीर में विद्रोह की उत्पत्ति के कारणों की व्याख्या करें।

.....

.....

.....

.....

.....

2) उत्तर-पूर्व भारत में विद्रोह के क्या कारण थे?

.....

.....

.....

.....

.....

3) पंजाब में विद्रोह के प्रमुख कारण कौन-कौन से थे?

.....

.....

.....

.....

.....

7.8 सारांश

भारत के विभिन्न राज्यों में विद्रोह की घटनाऐं देखने को मिली हैं। विद्रोह एक प्रकार का विरोध है जिसमें हिंसा भी देखने को मिलती है, जिसमें राज्य की सत्ता को चुनौती दी जाती है और राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करने की कोशिश की जाती है। जो राज्य विद्रोह की घटना से सबसे ज्यादा प्रभावित हुए हैं उनमें जम्मू एवं कश्मीर (जिसको 2019 में दो केंद्र शासित क्षेत्रों में विभाजित किया गया), नागालैण्ड, मिजोरम, मणिपुर, असम, पंजाब एवं कुछ नक्सलवाद से प्रभावित राज्य से हैं। विद्रोह के कुछ लक्षण भी हैं जैसे संगठन नेता, विचारधारा, एवं लामबंद करने की रणनीति। राज्य द्वारा विद्रोह को खत्म करने के लिये उठाये गये तरीकों को प्रत्युत्तर विद्रोह कहा जाता है। इन तरीकों में, सैनिक एवं नागरिक नीतियाँ भी शामिल है। विद्रोह इसलिये होता है क्योंकि लोगों की समस्याऐं राज्य दूर करने में असफल होता है, इस कारण लोग राज्य के प्रति अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं।

7.9 संदर्भ

चौबे, एस. के. (1999),''हिल पोलिटिक्स इन नॉर्थईस्ट इंडिया'', हैदराबाद, ओरियंट, लांगमैन।

गांगुली, सुमित (1999), द क्राइसिस इन कश्मीरः पोंटेन्टस ऑफ वार, होप्स ऑफ पीष, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

कोहली, अतुल (1990), डेमोक्रेसी एंड डिसकोन्टेंटः इंडिया'स ग्रोइंग क्राइसिस ऑफ गर्वनेविल्टी, न्यू-यार्क, कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस।

रक्षा मंत्रालय, (2006), डॉक्टराइन फोर सब कोन्वेंशनल ऑपरेशनस, नई-दिल्ली

ऑटकेन, जैनीफर (2009), काउन्टर इंसर्जनसी अगेंस्ट नक्सलाइट्स इन इंडिया, लंदन, राउटलेज।

फाड़निस, उर्मिला, गांगुली, रजत (2001), ऐथनिसिटि एंड नेशन-बिल्डिंग इन साउथ एषिया, नई-दिल्ली, सेज प्रकाशन।

राय, मृदु (2018), कश्मीर : प्रिंसली स्टेट टू इनसर्जेंसी, ऑक्सफोर्ड रिसर्च, एन साइक्लोपीडिया

रूस्तमजी, नारी (1983), इम्प्रैफिल्ड फ्रंटियर : भारत का उत्तर-पूर्व बोडोलैण्ड, दिल्ली, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी प्रेस।

सिंह, गुरहरपाल (1987), ''अन्डरस्टैंडिंग द पंजाब प्रॉब्लम'' एसियन सर्वे,अवसण 27ए छवण 12ए चचण 1268.77

वार्ष्णेय, आशुतोष (1991), इंडिया, पाकिस्तान एंड कश्मीरः एंटिनोमिस ऑफ नेशनलिज्म, एषियन सर्वे, अवसण 31ए छवण 11ए चच. 997-1019.

7.10 अभ्यास प्रश्नों के उत्तर

अभ्यास प्रश्न 1

1) विद्रोह किसी राज्य एवं सत्ता के विरूद्ध किया जाने वाला कार्य है। इसके पीछे जनता का समर्थन होता है। जो इस प्रकार के कार्य में शामिल होते हैं उन्हें विद्रोही कहा जाता है। उनका लक्ष्य राजनीतिक स्वतंत्रता हासिल करना है। विद्रोह का आंतकवाद के साथ कुछ अंतर एवं समानता भी है। विद्रोह की ही भांति आतंकवाद भी हिंसा का सहारा लेना है तथा राजनीतिक स्वतंत्रता प्राप्त करना चाहता है एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन स्वंतत्रता प्राप्त करना चाहता है एवं सामाजिक एवं आर्थिक परिवर्तन भी करना इसका उद्देश्य है। लेकिन विद्रोह की तरह आतंकवाद को जनता का समर्थन हासिल नहीं होता है।

अभ्यास प्रश्न 2

1) जम्मू और कश्मीर में विद्रोह 1980 की दशक के अंत में एवं 1990 में शुरू हुआ था। उस समय कई विद्रोही संगठन राज्य में उभर कर सामने आये थे। इसका प्रमुख कारण था इन मुद्दों में वर्तमान प्रशासनिक व्यवस्था के खिलाफ गुस्सा एवं विश्वास की कमी, क्योंकि उनका मानना था कि यह प्रशासन उनके सम्मान एवं उनकी स्वायत्ता का सम्मान नहीं करती है।

2) उत्तर-पूर्व भारत के राज्यों में स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात् विद्रोह की समस्या उत्पन्न हुई थी। इसके वास्तविक एवं काल्पनिक दोनों ही कारण थे। ये कारण भौगोलिक, सामाजिक सांस्कृतिक, आर्थिक एवं राजनीतिक भी थे। इनमें से कुछ विद्रोह जैसे नागा एवं मणिपुरी इसलिए उभरा क्योंकि उनकी समझ थी कि जिन क्षेत्रों में उनका प्रभाव है यह क्षेत्र पहले स्वतंत्र था, लेकिन बाद में यह भारत संघ में मिला लिया गया। उनका मानना है कि उन्हें अर्थात् मिजो समुदाय के साथ भारत सरकार एवं असम सरकार दोनों भेदभाव करते हैं। इन इलाकों में आये भयंकर अकाल (1959-1960) ने भी इनके अंदर इनके प्रति अनदेखी का आक्षेप लगा था क्योंकि इन अकाल ने उनकी वाँस की फसलों को काफी नुकसान पहुँचाया था। इसने ही 1960 में मिजो विद्रोह को बढ़ावा दिया था।

3) पंजाब में भी विद्रोह के राजनीतिक, सामाजिक-सांस्कृतिक एवं आर्थिक कारण थे। राजनीतिक कारणों में अकाली दल एवं काँग्रेस के बीच प्रतिस्पर्धा थी जो कि पंजाब में हावी थी। सामाजिक सांस्कृतिक कारणों में एक कारक हरित क्रांति का भी था जिनसे पूरे पंजाब में परिवर्तन किया एवं इससे सांस्कृतिक बदलाव भी आये। इससे यह भी आरोप लगा कि इसने सिख संस्कृति को ध्वस्त कर दिया था। उनका मानना था कि आर्थिक उन्नति एवं सांस्कृतिक उन्नति तभी जाकर बहाल की जा सकती है जब एक स्वतंत्र खालिस्तान राज्य का गठन हो।

ignou
THE PEOPLE'S
UNIVERSITY